FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0033 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/02/2024 16:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/11/2023 **Date To (दिनांक तक):** 06/12/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/02/2024 **Time (समय):** 10:50 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/02/2024 16:49:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 115 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Nijampur Mord Khetdi, District Neem Ka thana

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Pawan Kumar Mordiya

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Ramnarayan Mordiya

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Fatehpur Road, Ambedker Nager, SADAR SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Fatehpur Road, Ambedker Nager, SADAR SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8209496623

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Brajmohan Sihag		पिता:Budhrmal Sihag	1. Gram Bhukhredee,Ratangrdh,CHURU,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2023 को परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया पुत्र श्री रामनारायण मोरदिया, उम्र-48 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी फतेहपुर रोड़ अम्बेडकर नगर सीकर पुलिस थाना सदर सीकर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं द्वारा उसकी कम्पनी एमजीएम स्टोन एग्रिगेटस प्रा.लि. के नाम संजय नगर खेतड़ी में स्थित लीज में खनन कार्य करने देने की एवज में पंचनामा बनाने की धमकी देकर रिश्वत मांगने पर उसको रिश्वत लेते हुये पकड़वाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री ब्रजमोहन सिहाग फोरमैन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनं से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी पवन कुमार को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने आईन्दा आरोपी फोरमैन के बुलाने पर ही रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कही जिसको मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.12.2023 को 10.00 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया उपस्थित चौकी आया। जिसको कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चलाने व बंद करने की विधि समझाई गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री रामनिवास कानि. नं. 485 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। समय 10.10 एएम पर परिवादी पवन कुमार ने बताया कि श्री ब्रजमोहन सिहाग फोरमैन ने मुझे मोबाईल फोन से बात करने के बाद ही आने की कही है, इस पर परिवादी के चाहेनुसार परिवादी श्री पवन कुमार के मोबाईल फोन नम्बर 9828263023 से श्री ब्रजमोहन सिहाग, फोरमैन के मोबाईल नम्बर 9414444052 पर व्हाट्सअप कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तो श्री ब्रजमोहन सिहाग, फोरमैन ने परिवादी को खेतडी मिलने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री रामनिवास कानि. के साथ परिवादी श्री पवन कुमार को मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना खेतडी किया गया। समय 07.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. मय परिवादी श्री पवन कुमार उपस्थित कार्यालय आये। श्री रामनिवास कानि. ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "कस्बा खेतडी के पास निजामपुर मोड पर पहॅुचकर मैने परिवादी को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर मै सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हो गया, कुछ ही देर में परिवादी के पास एक व्यक्ति अपनी बोलेरो गाडी से आया और वह अपनी गाडी से नीचे उतरकर परिवादी से वार्ता कर चला गया, जिसके बाद परिवादी ने वाईस रिकार्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर दिया।" परिवादी ने बताया "श्री ब्रजमोहन सिहाग ने निजामपुर मोड पर मिलने की कहने पर हम दोनों निजामपुर मोड पहॅुचे, जहॅा मैने श्री रामनिवास कानि. से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे चालू कर मुख्य सड़क पर मुकिम हुआ, कुछ ही देर में श्री ब्रजमोहन सिहाग फोरमैन अपनी बोलेरो से आया जिसने हमारी दो वर्ष से चल रही लीजों की मंथली के रूप में बकाया 2,00,000 रूपये मांगे जिस पर मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 1,50,000 रूपये देने की कही तथा माह जनवरी 2024 से 2 लीजों के 15,000 रूपये प्रतिमाह मंथली के देने की कही। परिवादी ने आरोपी ब्रजमोहन सिहाग को रिश्वती राशि के 1,50,000 रूपये दो-तीन दिन बाद देने की कहना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी के बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा गया। आईन्दा वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जावेगा। परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.12.2023 को समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरा एक्सीडेन्ट हो गया है तथा डॅाक्टर ने 15-20 दिन आराम करने की कही है। जिस कारण मैं अभी अग्रिम कार्यवाही नही करवा सकता हॅू, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मुनासीब हिदायत दी कि आपका स्वास्थय सही होने पर अविलम्ब आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयो की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय सीकर में उपस्थित होवे। दिनांक 02.01.2024 को समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार ने जरिये दुरभाष मन्

पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी तक मेरा स्वास्थय पुरी तरह से ठीक नही हुआ है इसलिये मैं अभी अग्रिम कार्यवाही नही करवा सकता हॅू, जिस पर परिवादी को मुनासीब हिदायत की गई कि आपका स्वास्थय सही होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय सीकर में उपस्थित होवे। तत्पश्चात दिनांक 02.02.2024 को समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरा स्वास्थय ठीक होने के बाद आज मैं सीकर में अपने घर पर आया हुआ था। इस दौरान मेरे पास श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन का जरिये वाटसअप कॅाल आया एवं उसने कहॅा कि आप कई दिनों से मिल नही रहे हो और न ही आपने अब तक मुझे 1,50,000 रूपये दिये है, इसके बावजूद भी मैंने आपकी खान के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की है। मैं आपको कल सीकर में मिलुगां वहॅा पर आकर आप मुझे 1,50,000 रूपये दे देना नही तो मैं आपकी खान के खिलाफ बैकडेट में कागजी कार्यवाही करके आगे भिजवा दूगां। इस पर मैंने बताया की मैं बिमार हो गया था और आपको कल सीकर में मिल जाउंगा। श्री ब्रजमोहन सिहाग मेरे को कल सीकर में मिलेगा और वह मेरे से कल ही रिश्वती राशि लेगा। श्री ब्रजमोहन सिहाग ने आज से पूर्व भी मुझे तीन चार बार अपने फोन से वाटसअप कॅाल किये थे जिनको मैंने रिसीव नही किया था। श्री ब्रज मोहन सिहाग, मुझसे मेरे वाटसअप नं. 9828263023 पर ही अपने मोबाईल नं. 9414444052 से वाटसअप कॅाल करता है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन को रिश्वत में दिये जाने वाले 1,50,000 रूपये साथ लेकर सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर समय 06.20 पीएम पर एसीबी कार्यालय से रवाना किया। समय 06.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थय अधिकारी सीकर को जरीये दुरभाष दो स्वंतत्र गवाहान गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय, सीकर में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 06.50 पीएम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर से हस्ब तलवीदा स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक एवं श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। उक्त दोनो स्वंतत्र गवाहान को कल दिनांक 03.02.2024 को सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.02.2024 को समय 09.30 एएम पर पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक एवं श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय में बिठाया गया। समय 09.40 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया उपस्थित कार्यालय आया। जिसका परिचय कार्यालय में पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक एवं श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक से करवाया गया तत्पश्चात परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचयं ब्यूरो स्टाफ से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई एवं परिवादी श्री पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया गया। तत्पश्चात समय 09.50 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया ने हिदायत देने पर आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनिज अभियंता झुंझुनू को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 300 नोट कुल 1,50,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अकिंत करवाकर श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर मेरे कार्यालय की टेबल पर एक पुराना अखबार बिछवाकर समस्त नोटों पर श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री जयप्रकाश सैनी से परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,50,000 रूपयों के नोट श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब मे रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 8209496623 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9079554697 पर मिस कॅाल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अशोक कुमार, हैड कानि. 76 से कार्यालय के मालखाना मे रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव पुराना अखबार जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई

आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.15 एएम पर दोनो स्वंतत्र गवाहान की मौजुदगी में परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया के वाटसअप मोबाईल न. 9828263023 पर आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 से जरिये वाटसअप कॉल आने पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहां कि आ रहे हो क्या, जिस पर परिवादी ने कहां कि आ रहा हॅू, जिस पर आरोपी ने कहां कि मैं उदयपुरवाटी की तरफ जाकर आता हॅू, परिवादी ने कहां कि मैं एक दो बजे तक आ जाउंगा, जिस पर आरोपी ने कहां कि पिपराली सर्किल आकर फोन कर लेना या तो मैं आ जाउंगा या मेरे किसी आदमी को भेज दूंगा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करके परिवादी को सुपुर्द कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी के पास आरोपी का कॅाल आने पर उसने उदयपुरवाटी की तरफ जाकर आने की कही है। चूकिं आरोपी के आने में समय लगने की सम्भावना है। इसलिये समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.12.2023 को परिवादी के मोबाईल नं. 9828263023 से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनू्ं के मोबाईल नं. 9414444052 पर जरीये वाटसअप हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिेकार्ड़ किया गया था एवं उसी दिन परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया ने आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं से आमने सामने हुई वार्ता को डिजिटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिेकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की मेरी आलमारी से निकालकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री रामनिवास, कानि. 485 से कार्यालय के लेपटाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ताओ को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं परिवादी के बताये अनुसार हिन्दी अनुवाद श्री रामनिवास, कानि. 485 से करवाया गया। उक्त वार्ताओ में परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया ने स्वंय की व आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर लेपटॅाप की सहायता से उन चारो सीडीयों में उक्त वार्ताओ की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई । रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॅाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड sandisk ultra 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॅाप की सहायता से श्री रामनिवास, कानि. 485 से FTK imager सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅाप से डिजीटल वाईस रिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क '' ए'' अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क ''ए-1'' एवं दूसरी सीडी पर मार्क ''ए-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क ''ए-1'' एवं ''ए-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॅाईस रिकार्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। जप्तशुदा मेमोरी कार्ड मार्क ''ए'' एवं सीडी मार्क ए-1 व मार्क ए-2 के सील्ड शुदा पेकेटो को श्री अशोक कुमार हैड कानि. को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 02.21 पीएम पर दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन की मौजुदगी का पता लगाने के लिए परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया के वाटसअप मोबाईल न. 9828263023 से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 पर जरिये वाटसअप काल परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहां कि मैं अभी उदयपुरवाटी की तरफ हॅू तथा खेतड़ी की तरफ भी जाकर आना है। जिस पर परिवादी ने कहां की शाम को मिलते है। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करके परिवादी को सुपुर्द कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 05.11 पीएम पर दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन की मौजुदगी का पता लगाने के लिए परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया के वाटसअप मोबाईल न. 9828263023 से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 पर जरिये वाटसअप कॉल परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहां कि मैं शाम को लेट आकर आपसे मिल लुगा। जिस पर परिवादी ने सुबह मिलने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके परिवादी को सुपुर्द कार्यालय के डिजीटल वॅाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 05.30 पीएम पर दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,50,000 रूपये श्री अशोक कुमार हैड कानि. से निकलवाये जाकर एक कागज के

लिफाफे में डलवाकर कार्यालय की मेरी आलमारी में रखवाये गये। परिवादी को सुपुर्द डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त किया जाकर सुरक्षीत कार्यालय की मेरी आलमारी में रखा गया। परिवादी एवं दोनो स्वंतत्र गवाहान को कल दिनांक 04.02.2024 को सुबह 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात 04.02.2024 समय 09.00 एएम पर पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक एवं श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय में बिठाया गया। समय 01.10 पीएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि सुबह मेरे हाथ में ज्यादा दर्द होने के कारण मैं नियत समय पर नही आ सका था। मेरे पास इस दौरान मेरे वाटसअप मोबाईल न. 9828263023 पर श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 से तीन बार समय 10.48 एएम, 11.15 एएम एवं 11.22 एएम पर कॅाल आई थी जिनको मैंने रिसीव नही किया, जो मिस्ड कॉल के रूप में मेरे मोबाईल में है। इस पर परिवादी श्री पवन कुमार को हिदायत मुनासीब कर मेरे समक्ष मेरे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी मेरे कक्ष में बैठाया जाकर हिदायत मुनासीब की गई। आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन का फोन परिवादी के पास नही आने एवं आरोपी की मौजुदगी का पता लगाने के लिए दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया के वाटसअप मोबाईल न. 9828263023 से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 पर जरिये वाटसअप कॉल परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहां कि मैं जयपुर आ गया, जिस पर परिवादी ने कहां की कल सुबह आठ-नो बजे मिल लेते है जिस पर आरोपी सुबह मिलने की बात पर सहमत हो गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करके मेरी आलमारी में पूर्व में परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता के कार्यालय के डिजीटल वॅाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर रिकार्ड किया गया। परिवादी एवं दोनो स्वंतत्र गवाहान को दिनांक 05.02.2024 को सुबह 07.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.02.2024 को 07.30 एएम पर परिवादी श्री पवन कुमार एवं दोनो स्वंतत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक व श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। जिनको कार्यालय के मेरे कक्ष में बैठाया गया। आरोपी का फोन परिवादी के पास नही आने पर समय 09.41 एएम पर दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के वाटसअप नं. से आरोपी के वाटसअप नं. पर कॅाल करवाया गया तो आरोपी ने कॅाल रिसीव नही किया। परिवादी के पास आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन का कॅाल अभी तक नही आने पर इस समय परिवादी को मुनासिब हिदायत कि गई कि जब भी आरोपी आपसे सम्पर्क करे तो अविलम्ब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे एवं आमदा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया गया। दिनांक 06.02.2024 को समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार से जरिये दुरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन ने मेरे से सम्पर्क नही किया है। दिनांक 07.02.2024 को समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी तक मेरे पास श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन का फोन नही आया है। दिनांक 08.02.2024 को समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री पवन कुमार ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी तक मेरे पास श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन का फोन नही आया है, वो मेरे से जैसे ही सम्पर्क करेगां मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। तत्पश्चात दिनांक 09.02.2024 को पाबन्दशुदा दोनो स्वंतत्र गवाहान श्री कैलाश चन्द डाडैया, वरिष्ठ सहायक व श्री जयप्रकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। समय 06.00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी श्री पवन कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि " श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन ने अभी तक मेरे से सम्पर्क नही किया है एवं वो मेरा फोन भी नही उठा रहा है। आज जब मैं खनिज कार्यालय झुन्झुनूं गया तो मुझे गोपनीय रूप से पता चला कि श्री ब्रजमोहन सिहाग को मेरे पर शक हो गया है। इस कारण मेरे से अब वो रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगा। इसलिये आप अपनी अग्रिम कार्यवाही कर मेरे द्वारा आरोपी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये 1,50,000 रूपये वापिस देने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना -पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.30 पीएम पर दिनांक 03.02.2024 एवं 04.02.2024 को परिवादी के वाटसअप मोबाईल नं. 9828263023 एंव आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं के मोबाईल नं. 9414444052 पर जरिये वाटसअप हुई बातचीत को डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिेकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की मेरी आलमारी से निकालकर परिवादी एवं उपरोक्त दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष श्री रामनिवास, कानि. 485 से कार्यालय के लेपटॅाप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ताओ को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं परिवादी के बताये अनुसार हिन्दी अनुवाद श्री रामनिवास, कानि. 485 से करवाया गया। उक्त वार्ताओ में परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया ने स्वंय की व आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर लेपटॅाप की सहायता से उन चारो सीडीयों में उक्त वार्ताओ की पृथक-पृथक कॅापी/बर्न कर सीडी तैयार की गई । रिश्वत लेनदेन बाबत हुई वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 16 GB

एवं दो सीडीयों की लेपटॅाप की सहायता से श्री रामनिवास, कानि. 485 से FTK Imager सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॅाप से डिजीटल वाईस रिकार्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेनदेन बाबत हुई वार्ता का मेमोरी कार्ड ADATA 16 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क '' बी'' अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क ''बी-1'' एवं दूसरी सीडी पर मार्क ''बी-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लास्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क ''बी-1'' एवं ''बी-2'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। जप्तशुदा मेमोरी कार्ड मार्क ''बी'' एवं सीडी मार्क बी-1 व मार्क बी-2 के सील्ड शुदा पेकेटो को श्री अशोक कुमार हैड कानि. को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 08.30 पीएम पर परिवादी के बतायेनुसार आरोपी के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकती है। इसलिये इस समय दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पवन कुमार द्वारा दिनांक 03.02.2024 को आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनू ं को रिश्वत में दिये जाने वाले फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,50,000 रूपये को श्री अशोक कुमार हैड कानि. से कार्यालय की मेरी आलमारी से निकलवाकर पाउडर मुक्त कर जरिये रसीदगी लोटाये गये। समय 09.23 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पवन कुमार के वाटसअप मोबाईल नं. 9828263023 से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं के वाटसअप मोबाईल नं. 9414444052 पर हुई वार्ताओ/चैटींग के सम्बन्ध में परिवादी के मोबाईल का वाटसअप खोलकर वार्ताओ//चैटींग के दिनांक 16.09.2023 से 05.02.2024 के मध्य वार्ताओ/चैटिंग के दस स्क्रीन शॅाट लिये जाकर कार्यालय के कम्पयुटर की सहायता से प्रिन्ट आउट निकालकर पृष्ठ संख्या 01 से 10 तक अकिंत कर परिवादी एंव दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस प्रकार की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री पवन कुमार मोरदिया से उसकी कम्पनी एमजीएम स्टोन एग्रिगेटस प्रा.लि. के नाम संजय नगर खेतड़ी में स्थित लिज खनन पटटा संख्या 368/06 में खनन कार्य करने देने की एवज में पंचनामा बनाने की धमकी देकर परिवादी से 1,50,000 रूपये पहले के एवं पन्द्रह हजार रूपयें मंथली के रूप में बतौर रिश्वत की मांग की गई है। हालांकि मांग के अनुसार आरोपी श्री ब्रजमोहन सिहाग, फौरमेन कार्यालय खनि अभियंता झुंझुनूं को परिवादी पर शक होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। आरोपी श्री बृजमोहन सिहाग, खनि कार्यदेशक-11, कार्यालय सहायक खनि अभियंता (सर्त). झुन्झुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय है। अतः आरोपी श्री बृजमोहन सिहाग पुत्र श्री बुद्वरमल सिहाग निवासी ग्राम भूखरेडी तहसील रतनगढ जिला चूरू हाल खनि कार्यदेशक-11, कार्यालय सहायक खनि अभियंता (सर्त). झुन्झुनूं के विरूध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुरेशचन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने जरिये ई-मेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बृजमोहन सिहाग पुत्र श्री बुद्वरमल सिहाग, खनि कार्यदेशक-द्वितीय, कार्यालय सहायक खनि अभियंता (सर्त), झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम रिपोर्ट 319 दिनांक 22.02.2024 दर्ज है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर क्रमांकः- 162-65 दिनांक 22.02.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर। 2.निदेशक, खान एवं भूवज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/02/2024 16:57:12

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/08/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)